



259

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल गवालियर

अपील प्रक्रूपो- R 937 हि 06

रमेश प्रसाद पिता जगन्नाथ उम्म 58 वर्ष

निवासी- ईपुरा, तहो शाहनगर, जिला- पन्ना मध्यप्रदेश

अपीलार्थी

// बनाम //

मध्यप्रदेशशासन

प्रतिअपीलार्थी

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मो प्र० भू-राजस्व संहिता

अपीलार्थी निम्नलिखित रिवीजन कर प्रार्थना करता हैः-

1- यह कि, रिवीजनकर्ता रमेश प्रसाद द्वारा यह आवेदन माननीय अधिकारी न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिशनर सागर संभाग-क्रमांक रजिस्टर्ड पोस्ट फ्लॉर आज दिनांक 22-1-2006 प्राप्त दिनांक 23-2-2006 से द्वितीय होकर इस न्यायालय में न्याय हेतु

क्रमांक
रजिस्टर्ड पोस्ट फ्लॉर आज
दिनांक 22-1-2006 प्राप्त

कलर्क ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल अ.प्रा. बवालियर करता है :-

2- यह कि, आवेदक /रिवीजनकर्ता ग्राम उमरिया के खासा नंबर- 173, 174 में क्रमांक: एकवा- 0-65, 0-07 कुल कित्ता एकवा 2 एकवा- 0-72 हेक्टेयर भूमि पर कई वर्षों से कांबिज होकर उक्त भूमि पर काश्तकारी कार्य कर करता आ रहा है आवेदक द्वारा उक्त भूमि को काश्तकारी योग्य बनाने हेतु भेनत एवं आर्थिक व्यय किया गया। और कृषि योग्य बनाया गया। उक्त भूमि के आजू- बाजू में आवेदक की भूमि लगी है अन्य किसी व्यक्ति के काश्तकारी योग्य नहीं है उक्त भूमि नाला मद में दर्ज होने के कारण आवेदक ने मो प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत बंजर मद में दर्ज कराने हेतु श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पर्वत के माध्यम से मान्यनीय कौशिक महोदय पन्ना के द्वारा सम्भित जाँच उपरान्त 28-1-2000 को मान्यनीय अनुविभागीय अधिकारी पर्वत भूमि चाराछाह एवं नाला मद में से निरस्त की जाकर आवेदक के पक्ष में भूमि कांबिल कास्त धोषित की गई एवं आवेदक को उक्त बाजार रेट पर प्रीमियम लगाकर आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आ

///

2

R 937-II 106 4-11

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अधिकारों आ. के हस्ताक्षर
24.10.16.	<p>कार्यवाही का समाप्ति लिखना</p> <p>प्राप्त जाही डॉक्युमेंट</p> <p>क्र. नं. ५००२ से लेकर</p> <p>५००५ तक जाही जोड़ना</p> <p>५००६ से जाही डॉक्युमेंट</p> <p>जाही वापस लेना वा</p> <p>जाही नियम लिखना</p> <p>जाही नियम लिखना</p> <p>जाही नियम लिखना</p>	